ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विजय शर्मा	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विक्रांत सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मुच्छाली के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण आये अन्तर बारे।	2.36

2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष।	43.94
3)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष।	0.79
4)	7.2	दुकान किराये की वसूली हेतु शेष।	1.46
5)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना।	0.04
6)	8.1	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान करना।	5.24
7)	8.2	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	1.60
8)	8.3	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना।	0.27
9)	9	व्यय के समर्थन से माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	2.94

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-4.1	अनिर्णीत।	
2.	पैरा-4.2	अनिर्णीत।	
3.	पैरा-7.3	अनिर्णीत।	
4.	पैरा-8	अनिर्णीत।	
5.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
6.	पैरा-14	अनिर्णीत।	

2) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2023

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(अंकेक्षण शुल्क ₹8000 की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 281080 दिनांक 06.01.2024 द्वारा कर ली गई है।)
2.	पैरा-4 (क व ख)	निर्णीत।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	पैरा-4 (ग)	अनिर्णीत।	
4.	पैरा-5	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में पुन: प्रारूपित।

5.	पैरा-6.1	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुनः प्रारूपित।
6.	पैरा-6.2	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-6.3	अनिर्णीत।	
8.	पैरा-7.1 (क)	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 में पुनः प्रारूपित।
9.	पैरा-7.1 (ख)	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-7.2	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-7.3	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.2 में पुनः प्रारूपित।
12.	पैरा-7.4	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-8.1	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-8.2	अनिर्णीत।	
15.	पैरा-8.3	अनिर्णीत।	
16.	पैरा-8.4	अनिर्णीत।	
17.	पैरा-9.1	निर्णीत।	अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की पुष्टि उपरांत।
18.	पैरा-9.2	अनिर्णीत।	
19.	पैरा-10	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित।
20.	पैरा-11	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुनः प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10.09.2025 से 20/09/2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	08/2024	10/2024

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 618/2025 दिनांक 20/09/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित बंगाणा के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 281193 दिनांक 22/09/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत मुच्छाली द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 605/2025 दिनांक 17/09/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान तीन रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति (15वां वित्तायोग सहित समेकित)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	6335677.08	9029073	15364750.08	8523799	6840951.08

नोट:- 15वें वित्तायोग शीर्ष के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया गया है, जिससे सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियां भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है |

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मुच्छाली के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में **₹235560.00** का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	6840951.08
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**6604549.23**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	841.85
4)	**योग (2+3)**	**6605391.08**
5)	**अन्तर (1-4)**	**235560.00**
रोकड़ बहियों व बैंक शेष अनुसार अंतर		
स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त (समेकित) रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		**235560.00**
15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		**0.00**
कुल अंतर		**235560.00**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹2.36 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹235560.00** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 608/2025 दिनांक 17/09/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 20/09/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अत: उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाइन रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग**	**अन्तर (3-4)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त समेकित)	4393506.08	4157946.08	235560.00

4.3 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 605/2025 दिनांक 17/09/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 20/09/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹43.94 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय

किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 605/2025 दिनांक 17/09/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **[परिशिष्ट क 1(a)]** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान (15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त) में स्वः स्त्रोत सहित प्राप्त राशियों में **₹4393506.08** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 605/2025 दिनांक 17/09/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 20/09/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 605/2025 दिनांक 17/09/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 20/09/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है । यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न

होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.79 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 605/2025 दिनांक 17/09/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 20/09/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹78900 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	103950	34825	138775	59875	78900

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 ₹1.46 लाख की दुकानों के किराये की वसूली हेतु शेष:-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 605/2025 दिनांक 17/09/2025 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग**) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2025 तक दुकानों के किराये के रूप में **₹146138.00** वसूली हेतू शेष थी |

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	125759.00	171132.00	296891.00	150753.00	146138.00

अतः दुकान किराये की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹3800.00 सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार** वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	3800

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 611/2025 दिनांक 17/09/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 20/09/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹5.24 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि०प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के माह 10/2024 में **निम्न विवरणानुसार ₹523500.00** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 616/2025 दिनांक 20/09/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 20/09/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्लू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: **₹523500.00** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	योजना	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि (₹)
1	मनरेगा	निर्माण श्मशानघाट गाँव घड़ो	151/20-06-2024, 162/10-09-2024, 163/10-09-2024	कमल सिंह	रेत, बजरी	141500
2	मनरेगा	निर्माण वाटर टैंक अशोक कुमार गाँव वौट	150/19-06-2024	कमल सिंह	यथोपरि	18600
3	मनरेगा	निर्माण वाटर टैंक नरेश कुमार गाँव मुच्छाली	164/10-09-2024	कमल सिंह	यथोपरि	18600
4	मनरेगा	निर्माण वाटर टैंक संदीप	165/10-09-2024	कमल सिंह	यथोपरि	18600

		कुमार गाँव घड़ो				
5	मनरेगा	निर्माण वाटर टैंक राम सिंह गाँव वौट	146/19-06-2024	कमल सिंह	यथोपरि	18600
6	मनरेगा	निर्माण वाटर टैंक सोमा देवी गाँव नारगड्डू	147/19-06-2024	कमल सिंह	यथोपरि	18600
7	मनरेगा	निर्माण वाटर टैंक अनिल कुमार गाँव वौट	149/19-06-2024	कमल सिंह	यथोपरि	18600
8	मनरेगा	निर्माण वाटर टैंक सोम राज गाँव नारगड्डू	148/19-06-2024	कमल सिंह	यथोपरि	18600
9	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड़ H/O मान चंद से संजीव कुमार गाँव वौट	155/26-08-2024	कमल सिंह	यथोपरि	43200
10	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड़ H/O सुरेन्द्र से मायाधारी गाँव वौट	158/07-09-2024	कमल सिंह	यथोपरि	23400
11	मनरेगा	निर्माण पुली मेन रोड़ से H/O कुलदीप चंद गाँव भलेत	156/26-08-2024	कमल सिंह	यथोपरि	42900
12	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड़ हॉस्पिटल से आबादी पुरशोतम चंद गाँव बंगाणा	157/26-08-2024	कमल सिंह	यथोपरि	27800
13	मनरेगा	निर्माण एम्बुलेंस रोड़ H/O सुरेन्द्र से राकेश गाँव घड़ो	152/21-06-2024, 153/22-06-2024	कमल सिंह	यथोपरि	95900

14	मनरेगा	निर्माण वाटर टैंक महिन्द्र सिंह गाँव वौट	145/19-06-2024	कमल सिंह	यथोपरि	18600
					योग	**523500.00**

8.2 ₹1.60 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय:-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माह 10/2024 में **निम्नानुसार ₹160291.20** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 614/2025 दिनांक 20/09/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 20/09/2025 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	**मद**	**बिल संख्या**	**दिनांक**	**विवरण**	**भुगतान राशि(18% GST सहित)**
1	मनरेगा	274	08-09-2024	1500 पेवर/ ब्लॉक्स @13.3576 प्रति पेवर	20036.40
2	मनरेगा	275	08-09-2024	2000 पेवर/ ब्लॉक्स @13.3576 प्रति पेवर	26715.20

3	मनरेगा	276	08-09-2024	500 पेवर/ ब्लॉक्स @13.3576 प्रति पेवर	6678.80
4	मनरेगा	277	08-09-2024	2000 पेवर/ ब्लॉक्स @13.3576 प्रति पेवर	26715.20
5	मनरेगा	278	08-09-2024	2000 पेवर/ ब्लॉक्स @13.3576 प्रति पेवर	26715.20
6	मनरेगा	279	08-09-2024	2000 पेवर/ ब्लॉक्स @13.3576 प्रति पेवर	26715.20
7	मनरेगा	280	08-09-2024	2000 पेवर/ ब्लॉक्स @13.3576 प्रति पेवर	26715.20
				योग	**160291.20**

8.3 स्त्रोत पर ₹0.27 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1343283.00** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹26865.66** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि	योग	जी.एस.टी.टी. डी.एस. की कटौती योग्य राशि (2%)
1	2024-25	KAMAL SINGH गांव बलेट	रेत, बजरी	799373.00	799373.00	15987.46

2	2024-25	मुकेश कुमार Govt. Cont. VPO Badsala	पेवर / ब्लॉक्स	543910.00	543910.00	10878.20
				योग	**1343283.00**	**26865.66**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 617/2025 दिनांक 20/09/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 20/09/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹26865.66** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

9 ₹2.94 लाख के व्यय के समर्थन से माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माह 10/2024 मे मनरेगा शीर्ष से करवाए गए कार्य हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **निम्न विवरणानुसार ₹294052.00** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण अधियाचना संख्या 615/2025 दिनांक 20/09/2025 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 20/09/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी । नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ।

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि
1	मनरेगा	C/o Shamshan ghat vill. gharoh	151 20.06.2024	रेत, बजरी	49100.00
2	मनरेगा	C/o Shamshan ghat vill. gharoh	162 10.09.2024	रेत, बजरी	46200.00

3	मनरेगा	C/o Shamshan ghat vill. gharoh	163 10.09.2024	रेत, बजरी	46200.00
4	मनरेगा	C/o Shamshan ghat vill. gharoh	520 01.08.2024	सरिया	37997.08
5	मनरेगा	C/o Shamshan ghat vill. gharoh	544 05.08.2024	सरिया	40294.92
6	मनरेगा	C/o Shamshan ghat vill. gharoh	62781 20.09.2024	सीमेंट	74260.00
				योग	**294052.00**

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 606/2025 दिनांक 17/09/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 04 दिनांक 20/09/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	बजट प्राकलन	11	37
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
10	बिल रजिस्टर	13	48
11	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	5(5)

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 605/2025 दिनांक 17/09/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 20/09/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया

कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:**- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 **निष्कर्ष:**- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

11.11.2025
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

7061 – 7065 17 NOV 2025 का0/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)3 / 2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

11.11.25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2+3)

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	6335677.08	9029073	15364750.08	8523799	6840951.08

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत मुच्छाली
विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)

17

ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	6335677.08	4648108	10983785.08	4142834	6840951.08

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	4291739.08	26,28,477	6920216.08	25,26,710	4393506.08

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2043938	20,19,631	4063569	16,16,124	2447445

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत मुच्छाली
वि० ख० बंगाणा, जि० ऊना (हि०प्र०)

18

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	4207170	4207170	4207170	0

3) स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	173795	173795	173795	0

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत पुछ्वाली

19

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	6840951.08
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**6604549.23**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	841.85
4)	**योग (2+3)**	**6605391.08**
5)	**अन्तर (1-4)**	**235560.00**
रोकड़ बहियों व बैंक शेष अनुसार अंतर		
स्वः स्त्रोत व अनुदान (15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त (समेकित) रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		**235560.00**
15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		**0.00**
कुल अंतर		**235560.00**

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत पुच्छाली
[illegible] ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट क-1 पैरा संख्या 4.1 (क) के सन्दर्भ में

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)	टिप्पणी
1	KCCB Bangana (Own & GIA)	20034021206	3448597.95	
	KCCB Bangana (GIA)	20034056228	580063.45	
	PNB Bangana (15th FC)	6809001700019863	2447445.00	
	HDFC Bangana (MPLADS)	50100755675881	74915.00	
	KCCB Bangana (GIA)	50059106927	52864.00	
	Post Office	--	663.83	नोट :- बैंक शेष प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
		योग	**6604549.23**	
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	841.85	
		योग (1+2)	**6605391.08**	

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत पुछ्याली
[illegible] बंगाणा, जि० ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट "ख"

पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	103950	34825	138775	59875	78900

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत मुच्छाली
विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट "ग"　　　　　　　　　　　　　　　　पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक दुकान किराये की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	125759.00	171132.00	296891.00	150753.00	146138.00

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत मुच्छाली
वि० ख० बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)

List of Outstanding Shop Rent Period 04/24 to 03/25 in R/O Gram Panchayat Muchhali Block Bangana

Shop No.	Name of Tenant	Opening Balance	Demand During the Year	Total	Collection During the Year	Closing Balance
1	Satish Kumar s/o Sukhraam	0.00	9360.00	9360.00	9360.00	0.00
2	Ramesh Chand s/o Devraj	84.00	11652.00	11736.00	7852.00	3884.00
3	Madan lal s/o Birbal	0.00	10740.00	10740.00	8055.00	2685.00
4	Vijay Kumar s/o Rooplal	17566.00	10044.00	27610.00	10000.00	17610.00
5	Prem Chand s/o Jagatram	5751.00	9012.00	14763.00	14012.00	751.00
6	Surjeet s/o Rattan Chand	22632.00	10392.00	33024.00	0.00	33024.00
7	Sukhdev s/o Birbal	20252.00	10392.00	30644.00	5000.00	25644.00
8	Raman kumar s/o Omprakash	21930.00	15240.00	37170.00	0.00	37170.00
9	Reeta Devi w/o Ganesh Dutt	3150.00	12600.00	15750.00	10500.00	5250.00
10	Gurpreet Singh s/o Jeewan Singh	7720.00	11340.00	19060.00	10000.00	9060.00
11	Asha Devi w/o Pawan Kumar	1050.00	12600.00	13650.00	11550.00	2100.00
12	Sarojni d/o Pritam Chand	1890.00	22680.00	24570.00	20790.00	3780.00
13	Sarojni d/o Pritam Chand	1890.00	22680.00	24570.00	20790.00	3780.00
14	Kapil Sharma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Ranveer Rana	20844.00	0.00	20844.00	20844.00	0.00
16	Jaspal	1000.00	2400.00	3400.00	2000.00	1400.00
	TOTAL	**125759.00**	**171132.00**	**296891.00**	**150753.00**	**146138.00**

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत मुच्छाली
वि॰ख॰ बंगाणा, जिला ऊना (हि॰प्र॰)

परिशिष्ट 05 पैरा संख्या 7.3 के सन्दर्भ में

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि का विवरण

ग्राम पंचायत मुच्छाली

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गयी राशि	कम वसूली गई राशि
1	अंकित पठानिया सपुत्र रणजीत सिंह	18.04.2024	26.04.2024	891779	200	200	0
2	अमन धीमान सपुत्र राम पाल	07.10.2024	26.10.2024	3360	200	200	0
3	दीपक पठानिया सपुत्र रमेश कुमार	21.10.2024	01.11.2024	3402	200	200	0
4	शुभम सपुत्र सुशील कुमार	17.11.2024	03.12.2024	3503	200	200	0
5	अनूप शर्मा सपुत्र अशोक शर्मा	06.12.2024	09.12.2024	3504	200	200	0
6	अमित शर्मा सपुत्र पवन शर्मा	27.11.2024	12.12.2024	3505	200	200	0
7	विशाल ठाकुर सपुत्र शुभाष चंद	06.12.2024	18.12.2024	3507	200	200	0
8	आकाश सपुत्र मोहिन्द्र सिंह	06.12.2024	26.12.2024	3508	200	200	0
9	मनीष कुमार सपुत्र मोहिन्द्र सिंह	11.12.2024	31.12.2024	3509	200	200	0
10	अनिल शर्मा सपुत्र लेखराज शर्मा	21.01.2025	28.01.2025	3544	200	200	0
11	अमित कुमार सपुत्र मुख्त्यार सिंह	21.01.2025	29.01.2025	3545	200	200	0

12	विरेन्दर ठाकुर सपुत्र ध्यान सिंह	21.01.2025	30.01.2025	3546	200	200	0
13	अमित कुमार सपुत्र पवन कुमार	21.01.2025	01.02.2025	3549	200	200	0
14	अनवेश जमवाल सपुत्र राजेंद्र कुमार जमवाल	18.04.2024	01.02.2025	3550	400	400	0
15	अमित कुमार सपुत्र विजय कुमार	24.01.2025	13.02.2025	3552	200	200	0
16	रोहित कुमार धीमान सपुत्र प्रीतम चंद	30.01.2025	17.02.2025	3553	200	200	0
17	शशि शर्मा सपुत्र महेश चंद	14.02.2025	27.02.2025	3556	200	200	0
18	अजय कुमार सपुत्र अशोक कुमार	20.02.2025	27.02.2025	3557	200	200	0
				योग	**3800**	**3800**	**0**

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत पुखाली

27 26

परिशिष्ट ङ   पैरा संख्या 8.3 के सन्दर्भ में

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुकेश कुमार Govt. Cont. VPO Badsala को पेवर / ब्लॉक्स के क्रय हेतु किए गये भुगतान का विवरण

क्रम स०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST को छोड़कर)
1	SDP	269	02-09-2024	16980
2	SDP	268	02-09-2024	39620
3	SDP	267	02-09-2024	39620
4	RELIEF	271	21-09-2024	16980
5	RELIEF	270	21-09-2024	33960
6	RELIEF	112	10-08-2024	40950
7	RELIEF	111	10-08-2024	40950
8	RELIEF	102	07-11-2024	20475
9	RELIEF	103	07-11-2024	20475
10	RELIEF	296	07-11-2024	40950
11	RELIEF	110	09-12-2024	29250
12	RELIEF	113	25-08-2024	11700
13	RELIEF	125	13-08-2024	17550
14	RELIEF	126	13-08-2024	17550
15	RELIEF	303	14-03-2025	21060
16	MNREGA	276	08-09-2024	5660
17	MNREGA	275	08-09-2024	22640
18	MNREGA	274	08-09-2024	16980
19	MNREGA	280	08-09-2024	22640
20	MNREGA	279	08-09-2024	22640
21	MNREGA	277	08-09-2024	22640
22	MNREGA	278	08-09-2024	22640
			योग	**543910**

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत पुछाल्ली

27

वित्तीय वर्ष 2024-25 में **KAMAL SINGH** गांव बलेट को रेत, बजरी, ईंटों के क्रय हेतु किए गये भुगतान का विवरण

क्रम स०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या	दिनांक	राशी (GST को छोड़कर)
1	RGSA	142	12-06-2024	16473
2	RGSA	140	16-06-2024	37200
3	RGSA	138	15-03-2024	49200
4	SDP	159	08-09-2024	33000
5	RELIEF	160	08-09-2024	12500
6	VKVNY	187	03-01-2025	22500
7	VKVNY	186	02-01-2025	46500
8	NDRF	197	03-01-2025	30500
9	RELIEF	170	03-01-2025	9300
10	RELIEF	181	13-11-2024	18700
11	MNREGA	145	19-06-2024	18600
12	MNREGA	153	22-06-2024	46500
13	MNREGA	163	19-09-2024	46200
14	MNREGA	162	10-09-2024	46200
15	MNREGA	157	26-08-2024	27800
16	MNREGA	156	26-08-2024	42900
17	MNREGA	155	26-08-2024	43200
18	MNREGA	148	19-06-2024	18600
19	MNREGA	149	19-06-2024	18600
20	MNREGA	147	19-06-2024	18600
21	MNREGA	146	19-06-2024	18600
22	MNREGA	151	20-6-2024	49100
23	MNREGA	152	21-06-2024	49400
24	MNREGA	165	10-06-2024	18600
25	MNREGA	164	10-06-2024	18600
26	MNREGA	158	07-09-2024	23400
27	MNREGA	150	19-06-2024	18600
			योग	**799373**

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत पुछाली